भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5119

दिनांक 24 मार्च 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

संघ राज्यक्षेत्रों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

5119. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन, विकास योजनाओं के समन्वय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बंटे हुए हैं, जिससे नीतिगत समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार संघ राज्यक्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समर्पित "संघ राज्यक्षेत्र कार्य मंत्रालय या विभाग" गठित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय स्तर पर एक विशिष्ट "संघ राज्यक्षेत्रों संबंधी संसदीय निरीक्षण समिति" गठित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक और लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई विशेष नीतिगत ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का भविष्य में इस दिशा में कोई ठोस पहल करने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के संविधान के भाग VIII के अनुच्छेद 239 से 241 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं, जिनमें नियमित अंतर-मंत्रालयी परामर्श एवं समन्वय शामिल हैं, द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में नीतियों के सुचारु निर्माण एवं विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समर्पित

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5119, दिनांक 24.03.2026

मंत्रालय/संसदीय निरीक्षण समिति / विशेष नीतिगत ढांचा गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, गृह कार्य मामलों की संसदीय स्थायी समिति, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यों की निगरानी, परामर्श और समीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
